



आधार सेवाओं में रुकावट

प्रलम्बि के लिये:

आधार सेवाओं में रुकावट, [भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण \(UIDAI\)](#), वन-टाइम पासकोड, आधार सेवाओं का प्रबंधन

मेन्स के लिये:

आधार सेवाओं में रुकावट, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनकी रूपरेखा और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण \(UIDAI\)](#) ने खुलासा किया है कि वर्ष 2023 में आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में अत्यधिक रुकावट आई थी, जिससे आधार सेवाओं की विश्वसनीयता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

- **SMS द्वारा वन-टाइम पासकोड भेजने में देरी** हुई तथा **आधार सर्वर को भी प्रमाणीकरण में 'रुक-रुक कर'** तथा 'मामूली अस्थिरता' का सामना करना पड़ा। यह स्थिति सितंबर 2023 तक पूरे वर्ष में **कई घंटों तक** रही, जो कुल 54 घंटे तथा 33 मिनट की **रुकावट** थी।

आधार प्रमाणीकरण क्या है?

परिचय:

- आधार प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया है, **जसके द्वारा आधार संख्या के साथ जनसांख्यिकीय** (जैसे- नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि) अथवा व्यक्ति की बायोमेट्रिक **सूचना** (फिंगरप्रिंट अथवा आइरिस) की जानकारी तथा इसके सत्यापन के लिये UIDAI के सेंटरल आइडेंटिटीज़ डेटा रजिस्ट्रार (CIDR) भेजी जाती है, UIDAI आधार संख्या के लिये प्रस्तुत उपलब्ध सूचना के आधार पर वरिण की शुद्धता या इसमें कमी आदि का पुष्टिकरता है।
 - आधार प्रमाणीकरण सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिये आवश्यक है, जिससे व्यक्तियों को राशन अथवा सरकारी सेवाओं तक पहुँचने जैसे कार्यों के लिये अपनी **पहचान सत्यापित करने हेतु फिंगरप्रिंट अथवा SMS पासकोड का उपयोग** करने की आवश्यकता होती है।

चिंता:

- वर्ष 2023 में लंबे समय तक तथा नरिंतर होने वाली रुकावटें, आधार सेवाओं की समग्र विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं, वशिषकर वर्ष 2009 में प्लेटफॉर्म के लॉन्च के बाद से उसने 100 बलियन से अधिक प्रमाणीकरण संसाधति किये हैं।

हाल के आधार प्रमाणीकरण में रुकावट के नहितारथ:

- **आवश्यक सेवाओं तक पहुँच:** आधार प्रमाणीकरण सरकारी कल्याण कार्यक्रमों, राशन और अन्य अधिकारों सहति **आवश्यक सेवाओं की एक वसितुत शृंखला तक पहुँचने के लिये अभिन्न अंग है।** आउटटेज़ के परिणामस्वरूप व्यक्ति इन सेवाओं तक समय पर पहुँच से वंचति हो सकते हैं, जिससे संभावति कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **सरकारी कार्यक्रमों पर प्रभाव:** सरकारी पहल प्रायः सेवा वतिरण को सुव्यवस्थति करना आधार प्रमाणीकरण पर नरिभर करता है। आउटटेज़ इन कार्यक्रमों के सुचारु कार्यान्वयन को बाधति कर सकता है, जिससे लक्षति लाभार्थी और कल्याणकारी योजनाओं की समग्र प्रभावशीलता प्रभावति हो सकती है।
- **वतितीय लेन-देन:** आधार-सकषम सेवाएँ, जैसे- **एटीएम लेन-देन**, प्रमाणीकरण पर नरिभर करती हैं। इस व्यवधान के कारण व्यक्तियों की वतितीय लेन-देन करने की कषमता बाधति हो सकती है, जिससे उनकी दनि-प्रतदिनि की वतितीय गतविधियिँ और बैंकगि सेवाओं तक पहुँच प्रभावति हो सकती है।
- **जनता का भरोसा और वशिवास:** बार-बार रुकावटें आधार सेवाओं की विश्वसनीयता के प्रतजनता के वशिवास को खतम कर सकती हैं। नागरकि अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिये आधार पर नरिभर हैं और रुकावट के कारण व्यक्तगित जानकारी को सुरकषति रूप से प्रबंधति करने तथा **सुचारु सेवा वतिरण की सुविधा प्रदान करने की कषमता में कमी आ सकती है।**

आधार क्या है?

- आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- आधार नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिये अद्वितीय है और जीवन भर वैध रहेगा।
- आधार नंबर नविसयियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
- यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है।
- यह एक स्वैच्छिक सेवा है जिसका लाभ प्रत्येक नविसयी वर्तमान दस्तावेज़ के बावजूद उठा सकता है।

आगे की राह

- आधार सेवाओं के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है।
- पारदर्शिता का जन जागरूकता से गहरा संबंध है। व्यक्तियों को सेवा व्यवधानों के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, खासकर जब आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच प्रभावित होती है। जानकारी की कमी ऐसी चुनौतियों से निपटने और सार्वजनिक भागीदारी को बाधित कर सकती है।
- यह रुकावट आधार का दीर्घकालिक प्रणालीगत लचीलापन सुनिश्चित करने के लिये उसके तकनीकी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के महत्त्व पर प्रकाश डालती है। इसमें न केवल तात्कालिक मुद्दों को संबोधित करना शामिल है बल्कि भविष्य में व्यवधानों को रोकने के लिये प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा नरितर नगरानी में सक्रिय रूप से निवेश करना भी शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरकिता या अधविस के प्रमाण के रूप में कथिा जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकरत्ता प्राधकिारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयियों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वतिरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार, आधार नागरकिता का प्रमाण नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मकिताओं का एक सेट भी प्रकाशित कथिा है जो उसके द्वारा जारी आधार की अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मशिरति या वषिम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार नषिक्रयि कथिा जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि कथिा जा सकता है।